

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

सुखदेव सिंह,
प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : 28-02-17

विषय :- मॉग संख्या-50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोगना, उप शीर्ष-18-चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45 निर्माण कार्य, विपत्र कोड 50P470200796180545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	50- जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) / 4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोगना / 18 - चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण	05-निर्माण, 45 निर्माण कार्य, विपत्र कोड 50P470200796180545	1000.00

अतिरिक्त आवंटित राशि - ₹ दस करोड़ मात्र।

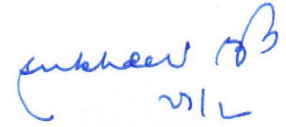
- आवंटित राशि वर्ष 2016-17 के संशोधित बजट उपबंध रु. 21000.00 लाख (दो सौ दस करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 तथा 2747(वि.), दिनांक-19.09.16 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों का अक्षरशः पालन करते हुए तकनीकी स्वीकृति, स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत एवं परिशिष्ट 1 पर वर्णित कार्यों के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

8. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
9. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
10. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
11. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
12. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 15 मार्च 2017 तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त।



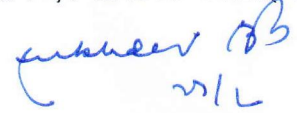
(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 280

राँची, दिनांक :- 28-02-17

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक) झारखण्ड पो.- हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/गुमला सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।



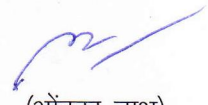
(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 280

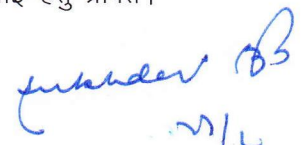
राँची, दिनांक :- 28-02-17

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त, सचिव योजना एवं विकास विभाग/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता


(मुक्ति साधन चौधरिया)
उप सचिव (अभि.)


(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

पत्रांक -

280

/संघी, दिनांक -

28-02-17

परिशिष्ट - 1

मौग संख्या-50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)

मुख्य शीर्ष - 4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

लघु शीर्ष - 796-जन जातीय क्षेत्रीय उपयोगना,

उपशीर्ष - 18-चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण

विरस्त शीर्ष-05-निर्माण, 45 निर्माण कार्य, विपत्र कोड-50P470200796180545

संशोधित बजट उपबंध (वर्ष 2016-17) रु. 21000.00 लाख (दो सौ दस करोड़) मात्र।

(राशि लाख में)

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2016 तक व्यय	वित्तीय वर्ष 2016-17 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति					
					प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, गुमला (GMLIRR006)	गुमला	रायडीह	कुदारी नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण।	36/26.11.15	304.071	108.790										
2			रायडीह	काशीर नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण।		201.445											
3			घाघरा	बरका नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण।		223.141	0.00										
4			घाघरा	आरिया नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण।		280.790	0.00										
5			घाघरा	काराझारिया नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण।		254.860	0.00										
6			घाघरा	रुकी नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण।		156.876	0.00										
7			जारी	विचरा नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण।		352.430	0.00										
8			जारी	वितरी नाला पर एकल चेकडैम निर्माण।		39.270	0.00										
9			जारी	छोटाकौक नाला पर पर श्रृंखलाबद्ध चेक डैम निर्माण		217.170	0.00										
10			जारी	बड़काडीह नाला पर पर श्रृंखलाबद्ध चेक डैम निर्माण		128.660	0.00										
11			जारी	नौगाढोढा नाला पर एकल चेक डैम निर्माण		47.500	0.00										
12			चैनपुर	नकटी नाला पर एकल चेकडैम निर्माण।		87.620	88.140										
13			चैनपुर	जिरमी नाला पर एकल चेकडैम निर्माण।		77.600											
14			चैनपुर	किसरा नाला पर पर श्रृंखलाबद्ध चेक डैम निर्माण		308.880											
15			हुमरी	पुटुथोवा नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण।		207.370	50.390										
16			हुमरी	बौधपेन नाला पर पर श्रृंखलाबद्ध चेक डैम निर्माण		122.620											
17			बसीया	नावाटोली नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण।		336.392	0.000										
18			बसीया	धनसारा नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण।		221.590	0.000										
						4720.00	1000.00	5720.00	98023								

(ऑफर नाथ)

सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)

उप सचिव (अभि.)

(सुखदेव सिंह)

प्रधान सचिव

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2016 तक व्यय	वित्तीय वर्ष 2016-17 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
					प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19			गुमला	पाखो नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण।		313.007	107.630					
20			गुमला	गुंभी नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण।		231.345						
21			गुमला	कुटुवा नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण।		218.899						
22			गुमला	कुटुवा नाला पर एकल चेक डैम निर्माण		45.140	144.020					
23			गुमला	बुहलुकिता नाला पर पर श्रृंखलाबद्ध चेक डैम निर्माण		122.674						
24			पालकोट	भरनी नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण।		205.373	0.000					
25			पालकोट	कोलेम नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण।		236.993	0.000					
26			कामडासा	कोनसा नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेक डैम निर्माण		280.425	0.000					
27			सिसई	पोटपोटा नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण।		320.280	66.610					
28			सिसई	चट्टानटोली नाला पर एकल चेकडैम निर्माण।		47.460	25.850					
29			सिसई	संभु नाला पर एकल चेकडैम निर्माण।		53.051	26.000					
30			भरनो	बुडीपाट नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण।		147.760	54.000					
31			विशुनपुर	होरुप नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेक डैम निर्माण	36/26.11.15	219.326	0.000				98023	
32			विशुनपुर	करया नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण।		119.164	0.000					
33			विशुनपुर	घाघरा नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण।		256.716	0.000					
34			घाघरा	बरकी नाला पर चेक डैम निर्माण		64.774						
35			घाघरा	सतीघाट नाला पर चेक डैम निर्माण		64.032	58.030					
36			घाघरा	दोदका नाला पर एकल चेक डैम निर्माण		74.126						
37			घाघरा	जोबानाला नाला पर एकल चेक डैम निर्माण		86.285						
38			पालकोट	झिकिरमा नाला पर पर श्रृंखलाबद्ध चेक डैम निर्माण		193.623	0.000					
39			रायडीह	जुमस्टोली नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेक डैम निर्माण		102.797						
40			रायडीह	भेलवाडीह नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेक डैम निर्माण		270.120	105.690					
41			रायडीह	मिजस्टाईड नाला पर एकल चेक डैम निर्माण		55.212						
42			रायडीह	मंझाटोली नाला पर एकल चेक डैम निर्माण		54.057						
43			सिसई	अरिया नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेक डैम निर्माण		381.863	15.980					
योग						4720.00	1000.00	5720.00				

अतिरिक्त अतिरिक्त आवंटित राशि - ₹ दस करोड़ मात्र।

(अंकोर नाथ)

सहायक अभियंता

(सुखदेव सिंह)

उप सचिव (अभि.)

प्रधान सचिव

280
28-02-12280
28-02-12